# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 876/2014 बीकानेर

श्री पूनमचन्द कच्छावा पुत्र श्री रामजीवण कच्छावा
निवासी बंगाली मन्दिर के पीछे रानी बाजार,
बीकानेर ..... प्रार्थी

**बनाम्**

राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक,बीकानेर .....अप्रार्थी

**एकलपीठ**

**राकेश श्रीवास्तव, अध्यक्ष**

**उपस्थित ::**

श्री बद्रीप्रसाद,
अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अधिवक्ता .....अप्रार्थीकी ओर

**दिनांक : 17.04.2015**

## निर्णय

यह प्रार्थना पत्र निगरानी अन्तर्गत धारा 65 राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998 प्रस्तुत की गयी है। इसमें न्यायालय विद्वान उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं पदेन कलक्टर मुद्रांक बीकानेर के आदेश दिनांक 22.01.2014 को चुनौती दी गयी है।

वकील प्रार्थी निगरानीकर्ता एवं उप राजकीय अभिभाषसक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। इन्हे सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी निगरानीकर्ता का कहना है कि प्रार्थी ने खरीद शुदा सम्पति बेनामा पंजीयन करवाने हेतु रू. 01,05000/– के स्टेम्प दिनांक 12.08.2013 को क्रय किये थे। यह विक्रय प्रार्थी द्वारा श्री पवन कालोर पुत्र श्री मूलाराम कालोर जाति कालोर (कुम्हार) से किया जाना था। बाद में उक्त सम्पति का पक्षकारान के मध्य किया गया सौदा निरस्तत हो जाने से क्रय की गयी सम्पति का बेनामा का पंजीयन नहीं हो सका एवं उक्त क्रय किये गये एडिशनल स्टेम्प का उपयोग नहीं हो सका। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी एक गरीब व्यक्ति होने के कारण क्रय किये गये स्टेम्प की राशि को वापस प्राप्त करने का अधिकारी है। परन्तु विद्वान कलक्टर मुद्रांक बीकानेर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2014 को सरसरीतौर पर पारित कर निर्णय प्रदान करने में भूल की है। उनका कथन है कि विद्वान कलक्टर मुद्रांक बीकानेर ने इस बात ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रार्थी के द्वारा क्रय किये गये स्टेम्प का उपयोग नहीं होने के कारण उसने समयावधि में रिफण्ड हेतु आवेदन श्रीमान् कलक्टर मुद्रांक बीकानेर के यहां पर प्रस्तुत कर दिये किन्तु उन्होने बिना किसी आधार के प्रार्थना पत्र को मयाद बाहर मान कर

निर्णय पारित किया जबकि उनको अपना नरम रूख अपनाते हुये आदेश प्रदा करना चाहिये था। वकील प्रार्थी निगरानीकर्ता ने आग्रह किया कि विद्वा कलक्टर मुद्रांक बीकानेर का निर्णय दिनांक 22.01.2014 को निरस्त किया जाय एवं प्रार्थी निगरानीकर्ता को उसके द्वारा क्रय किये गये स्टेम्प की रा 01,05000/– वापस रिफण्ड किये जाने के आदेश प्रदान किये जाय।

उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा का कथन है कि प्रा निगरानीकर्ता ने रिफण्ड हेतु अपना प्रार्थना पत्र विक्रय पत्र निष्पादन के महिने के अन्दर प्रस्तुत कर दिया था। इसलिये राजस्थान मुद्रांक अधिनिय की धारा 58 (डी)(6) एवं धारा 59 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत निगरानीक रिफण्ड का हकदार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाय।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह निर्विवाद रूप से स्थापित कि प्रार्थी ने स्टेम्प पत्रों का क्रय दिनांक 12.08.2013 को किया है जैसा मुद्रांक विक्रेता श्री ओ पी पाण्डे के लेख में स्पष्ट है। परन्तु यह विक्रय प किस दिन निष्पादित हुआ उसका कोई प्रमाण दस्तावेज पर उपलब्ध नहीं है विक्रय विलेख के पृष्ठ सात पर दिनांक 02.11.2013 अंकित है परन्तु इ निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। निष्पादन तिथि के अभाव यह कहना सम्भव नहीं है कि विक्रय पत्र का निष्पादन किस दिनांक पर हुआ।

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.01.2014 के अवलोकन स्पष्ट होता है कि प्रार्थी ने रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 30.12.2013 को कलक्टर मुद्रांक बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसी स्थिति में कलक्ट मुद्रांक बीकानेर का यह मानना कि रिफण्ड प्रार्थना पत्र निर्धारित समयाव पश्चात् प्रस्तुत किया गया है उचित प्रतीत होता है। धारा 58 (डी)(6) सपठि धारा 59 (1) से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि रिफण्ड हेतु प्रार्थना पत्र विक्र विलेख निष्पादन के दो महिने के अन्दर प्रस्तुत करना चाहिये जब कि व्यक्ति द्वारा उसको क्रय करने से मना करने या राशि देने से इन्कार कर पर दस्तावेज अनुपयोगी हो जाये। प्रस्तुत प्रकरण में विक्रय विलेख निष्पादन की तिथि विवादास्पद होने से प्रार्थना पत्र वास्ते निगरानी स्वीका किये जाने योग्य नहीं होने से प्रार्थना पत्र निगरानी अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(राकेश श्रीवास्तव)

अध्यक्ष